Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2025/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 1, 2025 (SRAVANA 10, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अगस्त, 2025

संख्या 35/ST-1.— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है;

इसलिए, अब हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 174 की उप–धारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप–धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची क में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे –

(i) क्रम संख्या 3 क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
"3क	विमानन टरबाईन ईंधन प्रविष्टि 7, 3ख तथा 3ग के अध्यधीन	20%";

(ii) क्रम संख्या 3ख तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
"3ख	जब विमानन टरबाईन ईंधन क्षेत्रीय संयोजकता योजना (आर0सी0एस0)–उड़ान सहित सभी हवाई अड्डों पर सभी यात्री उड़ानों को बेचा जाता है, तो इसके साथ संलग्न प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन।	1%";

टिप्पण: उपरोक्त प्रविष्टि राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी और 6 जुलाई, 2027 तक लागू रहेगी।

व्याख्याः– ऐसी उड़ानें, जो किसी यात्री को नहीं ले जाती हैं, लेकिन केवल ईंधन भरने/पड़ाव के लिए संचालित होती हैं, 1% की रियायती दर के लिए पात्र नहीं होंगी।;

(iii) क्रम संख्या 3ग तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
"3ग	जब विमानन टरबाईन ईंधन व्यवहारी को बेचा जाता है, जो सभी एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) गतिविधियों और हवाई साहसिक गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, तो इसके साथ संलग्न प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन।	1%";

टिप्पण: उपरोक्त प्रविष्टि राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी और 6 जुलाई, 2027 तक लागू रहेगी।

प्रविष्टि संख्या 3ख और 3ग के अधीन रियायती दर पर
विमानन टरबाईन ईंधन की खरीद के लिए प्रमाणपत्र।

क्रम संख्या–

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विमानन टरबाईन ईंधन (ए0टी0एफ0) – (विमानन टरबाईन ईंधन बेचने वाले व्यवहारी का नाम) से खरीदा गया है।

क्रम संख्या	बीजक संख्या	दिनांक	मात्रा	मूल्य

दिनांक :

एयरलाइंस के प्राधिकृत अधिकारी/हवाई साहसिक गतिविधि के आयोजक के हस्ताक्षर ....
....

एयरलाइंस के प्राधिकृत अधिकारी/हवाई साहसिक गतिविधि के आयोजक का नाम और पदनाम ..
....

*एक प्रमाणपत्र में केवल एक तिमाही के खरीद विवरण शामिल होंगे।''।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st August, 2025

No. 35/ST-1.— Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that circumstances exist, which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 read with proviso to the said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), read with the clause (i) of sub-section (1) of section 174 of the Haryana Goods and Service Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule A appended to the said Act, with effect from date of its notification, by dispensing with the condition of previous notice, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule A, under columns 1, 2 and 3-

(i) for serial number 3A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3
“3A	Aviation Turbine Fuel subject to entry 7, 3B and 3C.	20%”;

(ii) for serial number 3B and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3
“3B	Aviation Turbine Fuel (ATF) when sold to All passenger flights including under Regional Connectivity Scheme (RCS)-UDAN, at all airports, subject to the condition of the submission of the certificate appended herewith.	1%”;

Note: The above entry shall be effective from the date of publication in the Official Gazette and would be applicable upto 6th July, 2027.

Explanation:- **Flights that do not carry any passengers but operate only for refueling/parking shall not be eligible for concessional rate of 1%.;**

(iii) for serial number 3C and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3
“3C	Aviation Turbine Fuel (ATF) when sold to the dealer which get used in all MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) activities and air adventure activities, subject to the condition of the submission of the certificate appended herewith.	1%”;

Note: The above entry shall be effective from the date of publication in the Official Gazette and would be applicable upto 6th July, 2027.

CERTIFICATE FOR PURCHASE OF ATF
AT CONCESSIONAL RATE UNDER ENTRY NO. 3B and 3C

Serial No.____

Certified that Aviation Turbine Fuel (ATF) as detailed below has been purchased from the - (Name of the dealer selling Aviation Turbine Fuel).

Serial No.	Invoice No.	Date	Quantity	Amount

Date:

Signature of Authorized Officer of the Airlines/Organizer of air adventure activity ....

Name and designation of Authorized Officer of the Airlines/ Organizer of air adventure activity ....

*One certificate shall contain purchases details of one quarter only."

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

12016—C.S.—H.G.P., Pkl.